रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265187
CG-DL-E-02082025-265187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 481] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 524(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन इंजीनियरिंग और ट्रेडमैन काडर में सहायक उप-निरीक्षक (बिजली मिस्त्री), हैड कांस्टेबल (बढ़ई), हैड कांस्टेबल (धोबी), हैड कांस्टेबल (नाई), हैड कांस्टेबल (माली), हैड कांस्टेबल (मोची), हैड कांस्टेबल (सफाईवाला), हैड कांस्टेबल (रसोइया), हैड कांस्टेबल (बैरा), हैड कांस्टेबल (जलवाहक) और हैड कांस्टेबल (दर्जी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक इंजीनियरी और ट्रेडमैन काडर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.– वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. आरंभिक गठन. – अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले पदधारियों को, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर पदों पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व संबंधित ग्रेडो में इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त हुए समझे जाएंगे, सेवा में परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टिकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।

7. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.– इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति ही इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के पात्र होंगे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा असम राइफल्स में भर्ती हेतु गृह मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्वांतों के अनुसार शेप-1 चिकित्सा प्रवर्ग में हैं ।

8. अधिवर्षिता.– इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगाः

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत होगा ।

9. सेवा का दायित्व.– इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति, भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

10. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

11. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

12. व्यावृति.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1 सहायक उप-निरीक्षक (बिजली मिस्त्री)।	25* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रू.) ।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (बिजली मिस्त्री) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर) या सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2 हैड कांस्टेबल (बढ़ई)।	18* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.)।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे बढ़ई ट्रेड के नायक या कांस्टेबल जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1.** – नायक (बढ़ई) और कांस्टेबल (बढ़ई) के पदों को एक साथ सम्मिलित किए जाने के पश्चात् उनकी ज्येष्ठता विद्यमान अधिक्रम के अनुसार बनाए रखी जाएगा । सबसे ज्येष्ठ पदधारी नायक (बढ़ई) होगा, और तब पात्र नायक (बढ़ई) निःशेषित हो जाने के पश्चात् कांस्टेबल (बढ़ई) पर विचार किया जाएगा । **टिप्पण 2.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. हैड कांस्टेबल (धोबी)।	273* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे धोबी ट्रेड के लांस नायक या कांस्टेबल जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1. –** लांस नायक (धोबी) और कांस्टेबल (धोबी) के पदों को एक साथ सम्मिलित किए जाने के पश्चात् उनकी ज्येष्ठता विद्यमान अधिक्रम के अनुसार बनाए रखी जाएगा । सबसे ज्येष्ठ पदधारी लांस नायक (धोबी) होगा, और तब पात्र लांस नायक (धोबी) निःशेषित हो जाने के पश्चात् कांस्टेबल (धोबी) पर विचार किया जाएगा । **टिप्पण 2.**– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. हैड कांस्टेबल (नाई)।	135* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (नाई) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. हैड कांस्टेबल (माली)।	23* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (माली) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
6. हैड कांस्टेबल (मोची)।	40 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (मोची) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
7. हैड कांस्टेबल (सफाईवाला)।	270 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (सफाईवाला) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
8 हैड कांस्टेबल (रसोइया)।	533 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.)।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (रसोइया) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण.**– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
9 हैड कांस्टेबल (बैरा)।	14 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.)।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (बैरा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
10 हैड कांस्टेबल (जलवाहक)।	265* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (जलवाहक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण.–** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
11 हैड कांस्टेबल (दर्जी)।	40* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे कांस्टेबल (दर्जी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रू.) में चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 के साथ ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगेः– 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष; 2. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल -सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 4/13/एस.एस.बी/सीएससी/समूह 'ग'/2024]

जूही वर्मा, निदेशक (कार्मिक-समन्वय)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2025

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Sub-Inspector(Electrician), Head Constable (Carpenter), Head Constable (Washerman), Head Constable (Barber), Head Constable (Gardener), Head Constable (Cobbler), Head Constable (Safaiwala), Head Constable (Cook), Head Constable (Waiter), Head Constable (Water Carrier) and Head Constable (Tailor), Engineering and Tradesmen Cadre under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised, Engineering and Tradesmen Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .- These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification .– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to the person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Initial constitution.- The incumbents holding the posts as specified in the Schedule, who were appointed to the posts as before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under the provisions of these rules in the respective grades immediately before the commencement of these rules, shall be taken into account for the purposes of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

7. Medical fitness.– Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in the medical category of SHAPE-1, as specified in the Ministry of Home Affairs guidelines for recruitment medical examinations in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

8. Superannuation. – Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is on the first day of the month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

9. Liability of service.- Any person, appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

10. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

11. Power to relax .– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. Saving .– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Sub-Inspector (Electrician).	25* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Head Constable (Electrician) of the Sashastra Seema Bal in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years of regular service in grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional

course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note .–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal -Chairperson; 2.Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; 3.Deputy Commandant (Engineer) or Assistant Commandant (Engineer), Sashastra Seema Bal -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Head Constable (Carpenter).	18*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Naik or Constable of Carpenter trade of the Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note 1.–** After clubbing the posts of Naik (Carpenter) and Constable (Carpenter) their seniority shall be maintained as per existing hierarchy. The senior most incumbent will be Naik (Carpenter) and then Constable (Carpenter) will be considered after eligible Naik (Carpenter) are exhausted. **Note 2.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Head Constable (Washerman).	273*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Lance Naik or Constable of Washerman Trade of the Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note 1.–** After clubbing the posts of Lance Naik (Washerman) and Constable (Washerman) their seniority shall be maintained as per existing hierarchy. The senior most incumbent will be Lance Naik (Washerman) and then Constable (Washerman) will be considered after eligible Lance Naik (Washerman) are exhausted. **Note 2.**– Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal -Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Head Constable (Barber).	135*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Barber) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note** .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Head Constable (Gardener).	23*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Gardener) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
6. Head Constable (Cobbler).	40 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	Promotion: From amongst Constable (Cobbler) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note .–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
7. Head Constable (Safaiwala).	270*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Safaiwala) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note .–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Head Constable (Cook).	533 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Cook) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note .-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
9. Head Constable (Waiter).	14 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicabl	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Waiter) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal -Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
10. Head Constable (Water Carrier).	265*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Water Carrier) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.

	Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
11. Head Constable (Tailor).	40*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial,Combatised.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion.	**Promotion:** From amongst Constable (Tailor) of Sashastra Seema Bal in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years of regular service in the grade with medical category SHAPE-I and having successfully completed pre-promotional course or courses specified by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. **Note .-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairperson; 2.Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; 3.Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

[F. No. 4/13/SSB/CSC/Gp 'C'/2024]

JUHI VERMA, Director (Pers & Coord)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.08.02 13:55:28 +05'30'